प्रधान सचिव, परिवहन विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 30.01.2017 को सम्पन्न राजस्व संग्रहण एवं अन्यान्य विषयों पर आहूत सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही:–

विभागीय पत्रांक–305, दिनांक–23.01.2017 के आलोक में राजस्व संग्रहण एवं अन्यान्य विषयों पर दिनांक–30.01.2017 को चार पालियों में बैठक आयोजित की गई। राजस्व संग्रहण की दृष्टि से महत्वपूर्ण जिलों की बैठक अंतिम पाली में रखी गई। बैठक की मुख्य विचारणीय बिंदु :–

1. जिला परिवहन कार्यालय के दैनिक कार्यों के प्रभावी नियंत्रण एवं अनुश्रवण
2. वाहन IV एवं सारथी IV सॉफ्टवेयर का क्रियान्वयन
3. स्मार्ट कार्ड की प्रगति एवं अनुश्रवण
4. मनी रसीद
5. राजस्व संग्रहण
6. अन्यान्य ।

प्रधान सचिव ने उपस्थित सभी पदाधिकारियों से जिला परिवहन कार्यालयों के दैनिक कार्यों के सम्यक अनुश्रवण एवं नियंत्रण हेतु विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत विभागीय आदेश संख्या–4758, दिनांक–04.08.2016 के संदर्भ में निदेश दिया कि उक्त पत्र द्वारा दिए गये दिशा निदेशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाय। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि कार्यालय में वित्तीय प्रबंधन में सुधार लाने हेतु यूजर आई0डी0 तथा पासवर्ड की गोपनीयता बरकरार रखी जाय। आवश्यक हो तो कार्यालय में कार्यरत डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों का पटल समय–समय बदला जाय।

(अनुपालन–सभी डी0टी0ओ0)

2. बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों को सूचित किया गया कि लखीसराय में वाहन-IV वर्जन सॉफ्टवेयर लॉन्च हो गया है। इससे क्षेत्रीय कार्यालय की बहुत सारी समस्याएँ दूर हो जाएंगी। मूलतः वाहन– IV एवं सारथी– IV में डीलर प्वाइन्ट, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन से संबंधित ऑनलाइन प्रक्रिया है। इसमे पेमेन्ट सिस्टम तथा पब्लिक इन्टरफेस में सुविधा होगी। आवश्यक है कि जिन जिलों में वर्तमान में वेब बेस्ड एप्लीकेशन चल रहें हैं, इस प्रथम चरण हेतु तैयार रहें।

3. उपस्थित सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को निदेश दिया कि वाहनों का बैकलॉग निबंधन प्रमाण पत्रों (RC) को स्मार्ट कार्ड में परिवर्तित कर दिनांक–28.02.2017 तक निश्चित रूप से वितरित कर दिया जाय। इस संबंध में निर्गत विभागीय पत्रांक–602, दिनांक–08.02.2017 द्वारा दिए गये दिशा निर्देशों का सम्यक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इस हेतु यदि आवश्यक हो तो छुट्टी के दिन भी कार्य कराया जाय। उपस्थित पदाधिकारियों को यह जानकारी भी दी गई कि उक्त कार्य से संबंधित कार्य ऑफ लाईन मोड में किए जाते हैं। सभी जिला परिवहन पदाधिकारी प्रिन्ट हेतु प्राप्त स्मार्ट कार्ड को सर्वप्रथम सिरीज के अनुसार वर्गीकरण करते हुए कोडिंग कार्य करेंगे तथा प्रत्येक दिवस वितरण हेतु इस प्रकार योजना तैयार करेंगे कि यह कार्य 28.02.2017 तक पूर्ण हो सके। 15 दिनो के पश्चात् पुनः इसकी जिलावार समीक्षा हेतु राज्य परिवहन आयुक्त को निदेशित किया गया।

(अनुपालन–राज्य परिवहन आयुक्त/सभी डी0टी0ओ0)

4. बैठक में विशेष कार्य पदाधिकारी श्री वत्सराज ने कहा की मनी रसीद एवं सीजर बुक आदि की प्राप्ति एवं उनकी वापसी के संबंध में विभागीय पत्रांक–546, दिनांक–01.02.2016 के द्वारा दिए गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाय। साथ हीं उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गये 2014–15 में 3945 में से 1351 volume, 2015–16 में 7059 volume, में ये 4460 तथा 2016–17 में 17490 में से 17490 volume विभाग को वापस नहीं किया गया है। इस संबंध में उन्होंने volume, सन्निहित राशि के साथ विहित प्रपत्र में मनी रसीद एक बक्से में रखकर मुख्यालय को समर्पित करने हेतु अनुरोध किया। **(अनुपालन–सभी आर0टी0ए0 / सभी डी0टी0ओ0 / सभी एम0भी0आइ0 / सभी प्रवर्तन निरीक्षक / सभी प्रवर्तन अवर निरीक्षक)**

5. राजस्व संग्रहण की समीक्षा के क्रम में दिसम्बर 2016 के लक्ष्य के विरूद्व विभिन्न जिलों का राजस्व संगहण प्रतिशत निम्नवत् पाया गया:–

प्रथम पाली के जिले–

क्रम सं0	जिला का नाम	दिसम्बर, 2016 के लक्ष्य के विरूद्व राजस्व प्राप्ति का प्रतिशत
1.	जहानाबाद	67.86%
2.	खगड़िया	56.99%
3.	अररिया	72.93%
4.	मुंगेर	48.54%
5.	बक्सर	55.73%
6.	जमुई	57.20%
7.	सुपौल	78.14%
8.	बांका	59.85%
9.	शेखपुरा	48.00%
10.	लखीसराय	52.45%
11.	शिवहर	44.90%
12.	अरवल	52.37%

द्वितीय पाली के जिले

क्रम सं0	जिला का नाम	दिसम्बर, 2016 के लक्ष्य के विरूद्व राजस्व प्राप्ति का प्रतिशत
1.	मधेपुरा	58.77%
2.	सहरसा	75.01%
3.	नवादा	70.48%
4.	भभुआ	90.39%
5.	नालन्दा	80.13%
6.	बेतिया	61.61%
7.	रोहतास	71.99%
8.	किशनगंज	54.07%
9.	सीतामढ़ी	69.00%
10.	मधुबनी	74.25%
11.	कटिहार	78.61%

तृतीय पाली के जिले

क्रम सं0	जिला का नाम	दिसम्बर, 2016 के लक्ष्य के विरूद्व राजस्व प्राप्ति का प्रतिशत
1.	छपरा	65.84%
2.	गोपालगंज	77.81%
3.	औरंगाबाद	66.36%
4.	वैशाली	63.81%
5.	भोजपुर	63.83%
6.	समस्तीपुर	69.49%
7.	भागलपुर	67.82%
8.	सीवान	82.58%
9.	मोतिहारी	72.19%

चतुर्थ पाली के जिले

क्रम सं0	जिला का नाम	दिसम्बर, 2016 के लक्ष्य के विरूद्व राजस्व प्राप्ति का प्रतिशत
1.	पटना	86.40%
2.	गया	82.03%
3.	मुजफ्फरपुर	69.76%
4.	दरभंगा	71.84%
5.	पूर्णिया	86.41%
6.	बेगुसराय	68.23%

राजस्व संग्रहण की वर्तमान स्थिति पर प्रधान सचिव द्वारा संतोष व्यक्त करते हुए सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों को शत–प्रतिशत राजस्व संग्रहण का लक्ष्य प्राप्त करने का निदेश दिया गया। साथ ही राजस्व संग्रहण की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण जिले यथा,–पटना, मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा, पूर्णियाँ तथा बेगुसराय को राजस्व संग्रहण के निर्धारित लक्ष्य का 120 प्रतिशत राजस्व वसूली करने का निदेश दिया गया। प्रधान सचिव ने जिला पदाधिकारी द्वारा आन्तरिक संसाधन की समीक्षा के क्रम में परिवहन विभाग के अधीनस्थ क्षेत्रीय पदाधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक प्रत्येक सप्ताह आयोजित किये जाने का निदेश दिया, ताकि राजस्व संग्रहण लक्ष्य का शत–प्रतिशत हो।

(अनुपालन–सभी जिला पदाधिकारी/सभी आर0टी0ए0/सभी डी0टी0ओ0/सभी एम0वी0आइ0/सभी प्रवर्तन निरीक्षक/सभी प्रवर्तन अवर निरीक्षक)

6. अन्यान्य

(i) स्मार्ट कार्ड प्रिंटिंग की समस्याओं के संबंध में सभी उपस्थित पदाधिकारियों द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि स्मार्ट कार्ड बैकलॉग नहीं है तथा प्रिंटिंग में अब कोई समस्या नहीं है।

(ii) मकर संक्राति के अवसर पर आयोजित पतंग महोत्सव में गंगा नदी में हुए नाव दुर्घटना में लोगों के हताहत होने पर दुःख प्रकट करते हुए प्रधान सचिव महोदय द्वारा सभी एम0वी0आइ0 को नावों के निबंधन तथा इसकी जाँच के संबंध में परिवहन विभाग तथा जिला प्रशासन द्वारा दिए गये सभी निदेशों का पालन किए जाने हेतु निदेश दिया गया।

(अनुपालन–सभी एम0वी0आइ0)

(iii) क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा शिकायत की गई की पुलिस पदाधिकारी शमन की शक्ति का प्रयोग सुसंगत धारा के तहत नहीं करते है। इस पर प्रधान सचिव तथा राज्य परिवहन आयुक्त महोदय द्वारा पुलिस पदाधिकारियों द्वारा वसूल की गई शमन की राशि का विवरण नये प्रपत्र में ई0मेल0 के द्वारा उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया ताकि इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा सके। नया प्रपत्र संसूचित करने हेतु विशेष कार्य पदाधिकारी श्री वत्सराज को निदेशित किया गया।

(अनुपालन–सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/विशेष कार्य पदाधिकारी)

(iv) जिला परिवहन पदाधिकारी, लखीसराय द्वारा वहाँ कार्यरत डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों को अक्षम बताये जाने पर STC महोदय द्वारा अक्षम एवं अयोग्य डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों की सेवा Beltron को वापस करने का निदेश दिया गया तथा आवश्यकतानुसार मुख्यालय को सूचित करते हुए जिला स्तर पर कार्यपालक सहायक को प्राप्त करने हेतु पूर्व में निर्गत विभागीय अनुदेशों का अनुपालन हेतु कहा गया।

(अनुपालन–डी0टी0ओ0, लखीसराय)

(v) राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा सभी आर0टी0ए0 को वाहनों के परमिट निर्गत करने हेतु दो माह के अन्तराल पर बैठक आहूत करने का निदेश दिया गया। साथ ही सभी जिला

परिवहन पदाधिकारियों को महालेखाकार/लोक लेखा समिति के लंबित अंकेक्षण प्रतिवेदन तथा अनुशंसाओं का अनुपालन शीघ्र सुनिश्चित करने हेतु निदेश दिया गया।

(अनुपालन—सभी आर०टी०ए०/सभी डी०टी०ओ०)

(vi) पदाधिकारियों के "वर्दी" में नहीं होने तथा राजस्व संग्रहण के समुचित आंकड़ों के साथ बैठक में भाग नहीं लेने पर खेद प्रकट किया गया। अगली बैठक से "वर्दी" में तथा समुचित आंकड़ों के साथ बैठक में भाग लेने का निदेश दिया गया। सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों के तकनीकी समस्याओं के समाधान हेतु राज्य परिवहन आयुक्त को अलग से बैठक बुलाने का निदेश दिया गया। साथ ही रिबन/प्रिन्टर तथा अन्य आवश्यक सामग्रियों की आपूर्ति हेतु अलग से एक बैठक आहूत करने हेतु विशेष कार्य पदाधिकारी श्री वत्सराज को निदेशित किया गया।

(अनुपालन— राज्य परिवहन आयुक्त/विशेष कार्य पदाधिकारी/संबंधित प्रशाखा पदाधिकारी/सभी आर०टी०ए०/सभी डी०टी०ओ०/सभी एम०वी०आइ०/सभी प्रवर्तन निरीक्षक/सभी प्रवर्तन अवर निरीक्षक)

(vii) बैठक से अनुपस्थित रहने वाले पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण पूछने का निदेश दिया गया। श्री शैलेन्द्र कुमार, प्रवर्तन अवर निरीक्षक, को पहली पाली में अनुपस्थित रहने पर स्पष्टीकरण पूछने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन—प्रशाखा—5 एवं प्रशाखा—7)

प्रधान सचिव [redacted] ने बैठक में उपस्थित सभी संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/सभी मोटरयान निरीक्षक, सभी प्रवर्तन तंत्र के अधिकारियों से कहा कि उनकी हार्दिक इच्छा है कि वर्ष 2016—17 के लिए निर्धारित राजस्व संग्रहण का लक्ष्य को शत—प्रतिशत पूरा किया जाय। इसके लिए आवश्यक कार्रवाई करें।

(अनुपालन—सभी आर०टी०ए०/सभी डी०टी०ओ०/सभी एम०वी०आइ०/सभी प्रवर्तन निरीक्षक/सभी प्रवर्तन अवर निरीक्षक)

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त की गई।

विश्वासभाजन,
ह0/—
प्रधान सचिव,
परिवहन विभाग,**बिहार**, पटना।

ज्ञापांक— 780 पटना, दिनांक— 1/2/17

E-mail प्रतिलिपि : सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार/प्रवर्तन तंत्र के सभी पदाधिकारी, बिहार/सभी मोटरयान निरीक्षक बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव,
परिवहन विभाग,**बिहार**, पटना।

बैठक से अनुपस्थित रहने वाले पदाधिकारियों के नाम एवं पदनाम निम्नवत् है:-

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, छपरा।
संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, गया।
संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पूर्णिया।
जिला परिवहन पदाधिकारी, बक्सर।
जिला परिवहन पदाधिकारी, बॉका।
जिला परिवहन पदाधिकारी, शिवहर।
जिला परिवहन पदाधिकारी, सीतामढ़ी।
जिला परिवहन पदाधिकारी, छपरा।
जिला परिवहन पदाधिकारी, गोपालगंज।
जिला परिवहन पदाधिकारी, भोजपुर।
जिला परिवहन पदाधिकारी, सिवान।
श्री राजीव रंजन, मोटरयान निरीक्षक, बक्सर।
श्री पार्थ सारथी, मोटरयान निरीक्षक, कटिहार।
श्री विनय शंकर तिवारी, मोटरयान निरीक्षक, छपरा।
श्री दिव्य प्रकाश, मोटरयान निरीक्षक, गोपालगज।
श्री राजीव रंजन, मोटरयान निरीक्षक, भोजपुर।
श्री विनोद कुमार, मोटरयान निरीक्षक, भोजपुर।
श्री संजय कुमार अश्क, मोटरयान निरीक्षक, पटना।
श्रीमति विभा कुमारी, प्रवर्तन अवर निरीक्षक, जहानाबाद।
श्रीशैलेन्द्र कुमार, प्रवर्तन अवर निरीक्षक, मुगेर।
श्री विकास कुमार, प्रवर्तन अवर निरीक्षक, जमुई।
श्री संदीप कुमार, प्रवर्तन अवर निरीक्षक, बॉका।
श्री सरोज कुमार सिहं, प्रवर्तन अवर निरीक्षक, गोपालगंज।
श्री प्रभाश चन्द्र झा, प्रवर्तन अवर निरीक्षक, औरंगाबाद।
श्री गोपाल मिश्रा, प्रवर्तन अवर निरीक्षक, सीवान।